न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 48/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/318

1. पार्वती पुत्री लक्ष्मी देवी बेवा मेघाराम जाति सिंधी निवासी श्रीविजयनगर

—अपीलार्थी

बनाम

1. थावरदास पुत्र मेघाराम जाति सिंधी निवासी वार्ड नं. 19, श्रीविजयनगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़
3. कृष्णा देवी पत्नी प्रेमचन्द पुत्री मेघाराम जाति सिंधी निवासी वार्ड नं. 3 इन्द्रा कॉलोनी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री अनिल गखड़, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री देवेन्द्र चुघ, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री दिनेश कामरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 3
4. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी सं. 2

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 20.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार भू अ. एवं राजस्व अनूपगढ़ के द्वारा वसीयत नामान्तरण प्रकरण सं. 88/2010 में पारित निर्णय दिनांक 23.08.2010 जिसके द्वारा चक 2 पी 'ए' तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 219/21 व 219/13 के 24.10 बीघा का नामान्तरण वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से किय जाने के आदेश प्रदान किये गये से व्यथित होकर यह अपील मय प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के पेश की। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी कर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज की गयी। प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रार्थी थावरदास के प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किये जाने पर सुनवाई करते हुए अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की माता लक्ष्मी बेवा मेघाराम के नाम की खातेदारी भूमि चक 2 पी ए मु.नं. 219/21 व 219/13 के 24.10 बीघा का पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 11.06.2004 के आधार पर प्रकरण में दिनांक 23.08.2010 को निर्णय पारित करते हुए उक्त भूमि को लक्ष्मी की आवंटनशुदा स्वअर्जित भूमि मानते हुए प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया हैं। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इन आधारों पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं कि तथाकथित वसीयत कूटरचित एवं फर्जी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का [illegible] निर्णय पारित किया गया हैं। अपीलांट की माता की निर्वसीयत मृत्यु हुई है। अपीलांट की माता की मृत्यु के उपरांत सभी वारिसों अपीलार्थी पार्वती, [illegible] 1 थावरदास व 3 कृष्णा देवी को विरासतन समान [illegible] हुई है। सभी वारिसों का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। मृतका लक्ष्मी के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर देना आज्ञात्मक था, जो नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना एवं वसीयत की सत्यता की जांच किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। अपीलाधीन आदेश काबिल निरस्ती के हैं। अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.08.2010 को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:31:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

3. उभयपक्ष अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील पर बहस सुनी गयी। प्रत्यर्थी अधिवक्तागण के द्वारा अपील से पूर्व मियाद के बिन्दू को तय किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपीलार्थी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निवेदन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं भेजा ना ही सुनवाई का अवसर दिया। अपीलार्थी अनपढ़ महिला हैं, अखबार पढ़ना नहीं जानती। समाचार पत्र में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना का अपीलार्थी को इल्म नहीं था। अपीलार्थी को प्रकरण व वसीयत के आधार पर रेस्पों सं. 1 के नाम से भूमि दर्ज होने की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.08.2012 को अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि का विरास्तन नामान्तरण करवाने हेतु तहसील में जाकर जमाबंदी प्राप्त करने पर हुई। दिनांक 06.09.2012 को निर्णय व अन्य दस्तावेजात की नकल प्राप्त हुई। अपील इल्म एवं नकल प्राप्त होने की तिथि से अंदर मियाद पेश हैं। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी के द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(16) 2009 पेज 253, आरबीजे(17) 2010 पेज 407, आरबीजे(23) 2016 पेज 679 की प्रतियां पेश की।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी की वसीयत की पूर्व से ही जानकारी थी। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 के द्वारा भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को वसीयत की पूर्ण जानकारी थी। अपीलार्थी के द्वारा शपथ पत्र दिनांक 20.08.2004 में यह अंकित किया गया हैं कि वह प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में किये गये वसीयतनामा से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किये जाने के संबंध में कोई यथोचित कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अपील बाहर मियाद होने से प्रार्थना पत्र के साथ निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्ता के द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2013(2) पेज सं. 887, आरबीजे(30) 2023 पेज 398, आरआरटी 2014(1) पेज सं. 154 की प्रतियां पेश की।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का मुख्य आधार हैं कि उनको अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होने के कारण वह अपील समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी अधिवक्तागण का कथन हैं कि अपीलार्थी को वसीयत की पूर्णतया जानकारी थी, उनके द्वारा वसीयत के संबंध में शपथ पत्र के द्वारा सहमति भी दी गयी हैं। प्रत्यर्थी सं. 3 के द्वारा छायाप्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता के द्वारा बहस के दौरान उक्त शपथ पत्र अपीलार्थी का होने का खण्डन किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करवाते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। कोई एतराज प्राप्त नहीं होने पर निर्णय पारित किया हैं। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने संबंधित कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। अपीलार्थी की अपील न्यायालय में दिनांक 11.09.2012 को [illegible] पत्र 96 सीपीसी का स्वीकार कर अपील प्रस्तुत [illegible] करते हुए दर्ज की गयी थी। वर्तमान में अपील दायर होने के 12 वर्ष [illegible] उपरान्त मियाद के बिन्दू पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं। न्यायालय की राय में अपील को तकनीकी आधार पर निरस्त करने के स्थान पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(16) 2009 पेज 253 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्र.सं. रिवीजन / एलआर / 2524 / 07 / बूंदी उनवान

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:51:35 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर अनूपगढ़

भंवरलाल बनाम मोती लाल निर्णय दिनांक 15.01.2009 के अनुसरण में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

4. अपीलार्थी अधिवक्ता अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रत्यर्थी सं 1 के द्वारा फर्जी एवं कूटरचित वसीयत के आधार पर अपीलार्थी की माता की समस्त भूमि को अपने से रिकार्ड में दर्ज करवा लिया हैं। जबकि अपीलार्थी की माता का देहान्त निर्वसीयती होने के कारण भूमि विरास्तन अपीलार्थी, प्रत्यर्थी सं. 1 व प्रत्यर्थी सं. 3 को बहिस्सा बराबर मिलनी थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। जो अपीलार्थी के हितों के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी को उसके हितों से एवं प्रश्नगत भूमि में अपीलार्थी के जन्म से निहित हिस्से से वंचित करना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व भूमि के खातेदार अपीलार्थी की माता लक्ष्मी के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। ना ही वसीयत की सत्यता की जांच की गयी। विधिक प्रक्रिया का पालन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने के कारण आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती हैं। अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने के लिए निवेदन किया। अपीलार्थी अधिवक्ता की ओर से न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(24) 2017 पेज 577 एवं आरबीजे(2) 1995 पेज 369 की प्रति प्रस्तुत की गयी।

5. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 के द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आलौच्य आदेश पारित किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवाते हुए आपत्तिया आमंत्रित की गयी थी। पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी को वसीयत की पूर्ण जानकारी थी। अपीलार्थी के द्वारा शपथ पत्र दिनांक 05.07.2012 में वसीयत पर अपनी सहमति दी हैं। अपीलार्थी द्वारा वसीयत को फर्जी होना बताया हैं लेकिन वसीयत की सत्यता अथवा प्रमाणिकता को चुनौति केवल सिविल न्यायालय में ही दी जा सकती हैं। अपीलार्थी द्वारा वसीयत को सक्षम न्यायालय में उनके द्वारा चुनौति दिए जाने संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। वसीयत उप पंजीयक से पंजीबद्ध हैं। उप पंजीयक के द्वारा पूर्ण जांच के उपरान्त ही वसीयत को पंजीबद्ध किया गया हैं। विवादित भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी की माता की स्व अर्जित सम्पत्ति थी, जिसकी स्वेच्छा से वसीयत प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में की गयी थी। अपीलार्थी द्वारा भूमि पर सभी वारिसान का कब्जा काश्त होने का अंकन अपने अपील पत्र में किया गया हैं लेकिन इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन व बलहीन होने से खारिज करने के लिए निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(26) 2019 पेज 142 एवं डीएनजे(राज.) 2003(3) पेज 1143 की प्रति पेश की।

6. प्रत्यर्थी सं. 3 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को वसीयत की पूर्ण जानकारी थी। उनके द्वारा वसीयतनामा पर अपनी सहमति शपथ पत्र द्वारा दी गयी थी। प्रत्यर्थी सं. 3 प्रत्यर्थी सं. 1 से सहमत हैं। अपील झूठे तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने हेतु निवेदन किया।

7. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का मुख्य आधार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करते समय उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जिस वसीयत दिनांक 11.06.2004 के आधार पर अपीलाधीन आदेश में वर्णित अपीलार्थी की माता की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में किया गया हैं, वह वसीयत फर्जी एवं कूटरचित हैं। अपीलार्थी की माता का देहान्त निर्वसीयत हुआ था। वसीयत की सत्यता की जांच के बिना ही आदेश पारित किया गया हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:51:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
जिला कलक्टर अनूपगढ़

दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 11.06.2004 लक्ष्मी बहक थावरदास का अवलोकन किया। उक्त वसीयतनामा उप पंजीयक, अनूपगढ से पंजीबद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर इन्तकाल किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर पत्रावली संधारित करते हुए सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन समचार पत्र के करवा एतराज आमंत्रित किये तथा पटवारी हल्का से रिकार्ड व मौका की रिपोर्ट तलब की। इसके उपरान्त आवश्यक जांच कर वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम से भूमि के रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज किये जाने के का आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा वसीयत को कूटरचित एवं फर्जी होना अपील में अंकित किया हैं परन्तु वसीयत को निरस्त किये जाने अथवा अपील को अवैद्य घोषित करने के संबंध में उनके द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने से पूर्व अथवा अपील के विचारण के दौरान समक्ष न्यायालय में क्या कार्यवाही की गयी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नहीं हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के अधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:51:35 IST
Reason: SelfAttested